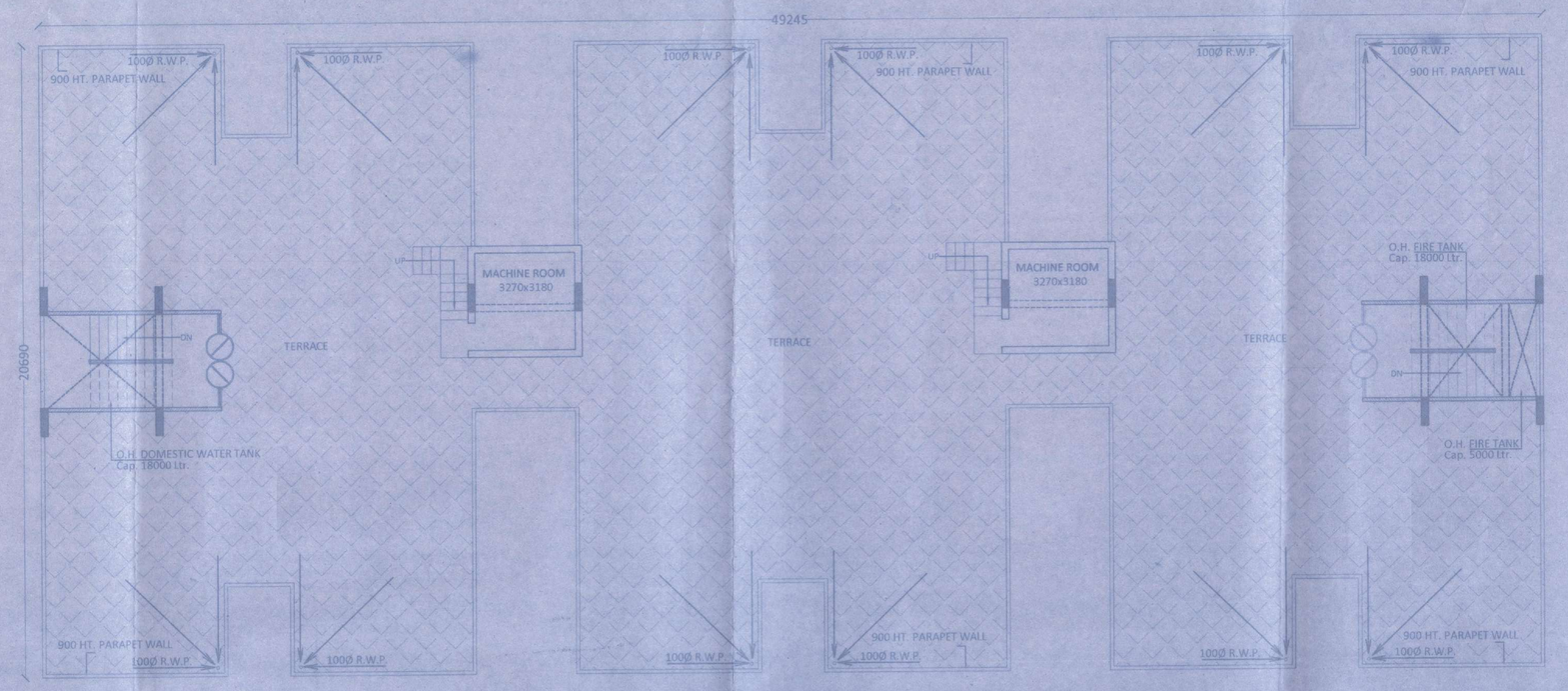

TERRACE FLOOR PLAN

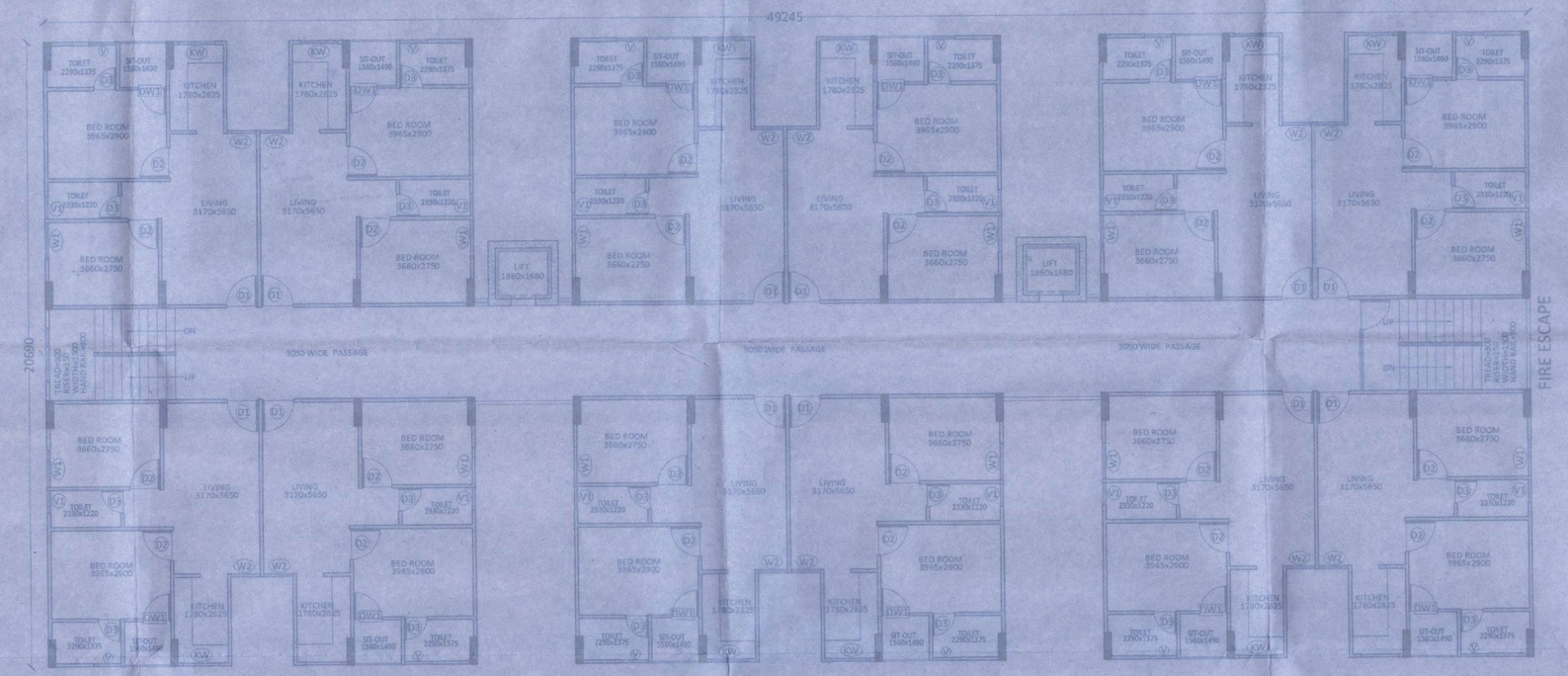

TYPICAL FLOOR PLAN

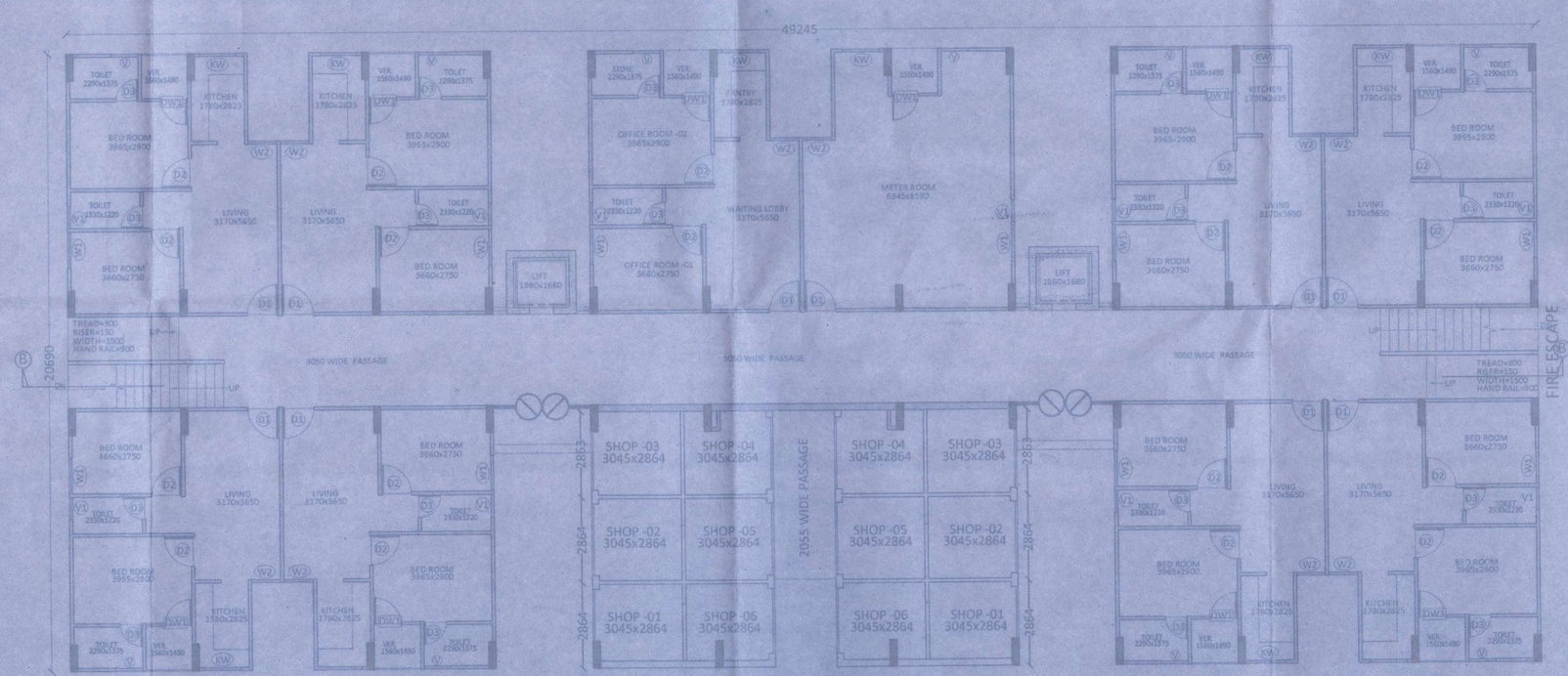

GROUND FLOOR PLAN

प्रतिबन्ध (समाजवादी आवास योजना)

1 विक्रयकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के क्रम मे प्रदूषण विभाग की अनापत्ति निर्धारित तारीख देय गई है अथवा नही तथी है अथवा निरीक्षण प्रगत होती है तो भवनीय स्थल नियत मानक जायेगा। तद्क्रम मे राशीशेष भवनीय पुनः स्वीकृत कराना होगा।

2 शासन पत्र दिनांक 17.12.2016 के अनुसार अवस्था भवन निर्माण एवंअभियि से सम्बन्धित समपूर्ण लेखर लेखा के मुल्यांकन एवं लेखा निरीक्षिट की अनापत्ति के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3 परियोजना विकास भवनीय भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नही माना जायेगा। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

4 विक्रयकर्ता द्वारा दिये गये शपथ के अनुसार समस्त शर्तो का पालन तथा अन्य विभागो द्वारा प्रदत्त अनापत्तियों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5 लखा पत्र निर्माण में शपथ परियोजना सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप का एक कोई उपयोग होगा।

6 भवन निर्माण में शासनादेशानुसार जेबर एरर तथा नेशनल बिल्डिंग कोडों कार्यालय के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जेबर ऐरा शुल्क को नियमानुसार जमा करना होगा।

7 भू-प्रयोग निजानुरा व रपंपिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी उक्त की होगी।

8 शासनादेश के अनुसार ग्रुप पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।

9 शासनादेश के अनुसार ग्रुप पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।

10 निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राविकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

11 समूह आवास भवनीय ग्रुप पर शासनादेशानुसार कूड़ा एवं डैम्प स्थेपित का प्राविधान करना होगा।

12 भवनीय का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

13 भवनीय में अवस्थ विक्रय प्राविधान का अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो वह द्वारा देय होगी।

14 आर्किटेक्ट एवंट तथा विभिन्न शपथ पत्र जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

15 अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आवश्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण विभाग की अनापत्ति की शर्तो का भी अनुपालन करना होगा। सीमा निर्माण विभाग की अनापत्ति के क्रम में तैयार ड्राइनिंग अभिलेख का ही प्रयोग होगा।

16 आवेदक द्वारा समस्त सोसायटी की कन्सिडिरेशनी सम्बन्धित विषयों के अपने व्यय पर सोसेटी होगी एवं व्यापीय नियमों को कॉमन हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेखनीय भू-स्वामी/आवेदक का होगा।

17 हाय वाल्टेज डीपेन्ट/डी भवनीय पर अंकित कर दी जायेगी।

18 भवन परिसर मे अवस्था वाहियों के लिए भवन उपविधि में वर्णित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।

19 शासनादेश संख्या- पीएन-2/2016/120/ आठ-1-16-34बी0एन/2014 दिनांक 12.01.2016, शासनादेश सं0-74/3492/आठ-1-14-34बी0एन/4 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश सं0-73/ 2996/आठ-1-14-34बी0एन/ 4 दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश सं0-13/2016/120/ आठ-1-16-34बी0एन/2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य है तथा आवास बन्धु के पत्र सं0-927/आवास-1/एडवाइजरी-डी0डी0/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा।

20 सीमा पर एक्सटैन्शिव स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है।

21 नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार आपात सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।

22 यदि भवनीय एवं स्थल मुकदमा के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाये या प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत भवनीय निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

23 परियोजना शर्तो का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों की जायेगी।

यह प्रमाणित करता हूँ कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस योजना संबंधित स्वीकृति क्रिया जाता है कि नियमक प्राविधान पूर्ण लिखत स्वीकृत के लिए विहित क्रम नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
स्वीकृत
प्रतिलिपि संख्या-1/1097-3
दिनांक 17-10-2016
संकेतांक संख्या-16-10-1969
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SHEET No.- 5/8

PROJECT

PROPOSED AFFORDABLE GROUP HOUSING "THE WOODS NAUBASTA

UNDER THE SAMAJWADI AWAS YOJNA.

AT

KH./PLOT No.- 587 (PART)
VILLAGE- NAUBASTA KALA,
PARGANA & TEHSIL - LUCKNOW
DISTT.- LUCKNOW, UTTAR PRADESH

LEGEND FOR FIRE SAFETY

P1	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2850 LMP
P2	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2850 LMP
P3	JOCKY PUMP 180 LMP
I	HARD HYDRANT WITH HOSE CABINET
BFV	BUTTER FLY VALVE
NRV	NON RETURN VALVE
	HOSE REAL 20 MM Ø 30 MT. LONG
	HOSE CABINET BOX EACH R.R.L. HOSE PIPE 15-15 MT. LONG
	BRANCH PIPE
	FIRE SERVICE IN-LET CONNECTION
ARV	AAI REDUSE VALVE
	SPRINKLER IN BASEMENT
	M.C.P.
	ELECTRONIC HOOTER
	SPEAKER
	CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER
	ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER
	FIRE BUCKET
U.G.TANK	UNDER GROUND WATER TANK FOR FIRE PURPOSE CAPACITY - 100000 LITER
T.TANK	TERRACE TANK FOR FIRE PURPOSE CAPACITY - 10000 LITER ON EACH TOWER
	SMOKE EXTRACTION SYSTEM IN BASEMENT

DOOR WINDOW SCHEDULE

S.No.	NAME	TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL LVL.	ITEM
1.		DW1	1560	2500	±00	+2550	DOOR/WINDOW
2.		D1	1050	2500	±00	+2100	DOOR
3.		D2	1000	2100	±00	+2100	DOOR
4.		D3	750	2100	±00	+2100	DOOR
5.		W1	1200	1600	+900	+2550	WINDOW
6.		W2	970	1600	+900	+2550	WINDOW
7.		V	900	600	+1500	+2100	VENTILATOR
8.		V1	750	600	+1500	+2100	VENTILATOR
9.		KW	1200	1600	+900	+2550	KITCHEN WINDOW

ALL THE INFORMATION REGARDING LAND & ITS OWNERSHIP IS PROVIDED BY THE OWNER. ARCHITECT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY KIND OF DISCREPANCY.

SUBMISSION DRAWING

SCALE: 1:100	DATE: OCT.- 2016
DRG. TITLE: BLOCK - C	NORTH
DRG. No.: 5/8	
DRAWN BY: SANDEEP	

Regal Wood Infra Developers P. Ltd.
Director

OWNER SIGNATURE

ARCHITECT SIGNATURE

ARCHITECT

PUNIT SRIVASTAV
VASTULIPI
ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
VASTU SHASTRA CONSULTANTS
5/171, VIRAM KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PH. NO.- 9415418151, 9935590999
email - vastulipi@gmail.com
website - www.vastulipi.com